राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या .....146, 147, 148 /2014.....जिला.....जयपुर.....

उनवान – मैसर्स डॉ. अग्रवाल आई हॉस्पिटल लि., जयपुर बनाम सहायक आयुक्त, वृत्त–''बी'', जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14/02/2014	**खण्डपीठ** **श्री जे.आर.लोहिया, सदस्य** **श्री अमर सिंह, सदस्य** अपीलार्थी द्वारा यह अपील स्थगन प्रार्थना पत्र सहित अपीलीय प्राधिकारी, द्वितीय, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.01.2014 जो कि मूल्य परिवर्धित अधिनियम (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत पारित की गई है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। उक्त आदेश में अपीलीय अधिकारी द्वारा सहायक आयुक्त, वृत्त–''बी'', जयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा वर्ष 2010–11, 2011–12 एवं 2012–13 के लिए पारित आदेश दिनांक 21.10.2013 जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 25, 26, 55 व 61 के तहत पारित किया गया है, में कायम मांग राशि क्रमशः रूपये 6,78,179/– एवं 6,07,866/– एवं 17,72,594/– के संबंध में अपीलीय अधिकारी द्वारा बकाया वसूली पर स्थगन प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार कर आंशिक स्टे क्रमशः रूपये 4,50,000/–, 4,25,000/– एवं 12,00,000/– दिया। शेष मांग रूपये 2,28,179/– एवं 1,82,866/– एवं 5,72,594 /– पर स्टे अमान्य किया गया है। उक्त आदेश के विरूद्ध व्यवहारी द्वारा यह अपील मय वसूली पर रोक प्रार्थना पत्र के पेश की गयी है। 2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री पंकज घीया व विभाग की ओर से विद्वान उपराजकीय अभिभाषक श्री वैभव कासलीवाल बहस हेतु उपस्थित हुये। वसूली पर रोक आवेदन प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। 3. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने तर्क किया कि आरोपित कर व ब्याज एवं शास्ति पूर्णतया अवैधानिक है। अधिकृत प्रतिनिधि के अनुसार अपीलार्थी एक हॉस्पीटल संस्था है। जिसमें मरीजों के इलाज के दौरान दवाईयां व आईओएल लैंस लगाये जाते है तथा मरीजों को दी गयी दवाईयां व लगाये गये आईओएल लैंस सेवा की परिधि में आते है, न कि विक्री की परिभाषा में। उनके अनुसार हॉस्पीटल न तो व्यापारकर्ता है एवं ना ही वह डीलर की परिभाषा में आता है। अपने कथन के समर्थन में अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय न भारत संचार निगम लि. बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य (2006) 145 एसटीसी 91 के प्रकरण का हवाला दिया तथा माननीय झारखड़ उच्च न्यायालय लगातार.....2	

उनवान – मैसर्स डॉ. अग्रवाल आई हॉस्पिटल लि., जयपुर बनाम सहायक आयुक्त, वृत्त–"बी", जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14/02/2014	 ने मैसर्स टाटा मैन अस्पताल बनाम स्टेट ऑफ झारखंड में दिये गये निर्णय का भी हवाला दिया। विद्वान अधिकृत अधिवक्ता के अनुसार उक्त निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में मरीजों को लगाये गये आईओएल लैंस की बिक्री पर कर आकर्षित नहीं होता है। अतः आरोपित कर, ब्याज व शास्ति अनुचित है। शास्ति का स्टे अपीलीय अधिकारी द्वारा दिया जा चुका है, परन्तु कर व ब्याज का स्टे नहीं दिया गया है जो पूर्णतया अनुचित है। विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि हॉस्पिटल में दवाईयां देना लेना सर्विस में माना गया है। परन्तु आईओएल लैंस को इस श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। लैंस की कीमत उनकी भिन्न भिन्न विशेषताओं पर निर्भर करती है जिसकी ग्राहक (मरीज) स्वयं पसंद करता है। उनकी कीमत भी भिन्न भिन्न होती है। कौन सा लैंस लगाना है यह डाक्टर की पसंद के हिसाब से नहीं लगाया जाता है। लैंस एक तरह का चश्मा है जिसको लगाने की पसंद ग्राहक के उपर निर्भर करती है। अतः यह सेवा न होकर बिक्री है। अतः कर योग्य है। दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आईओएल लैंस को इनप्लांट करना अधिनियम की धारा 2(15) के तहत उसे गुडस की परिभाषा में आना माना गया है। उसकी एक कीमत अलग से वसूल की जाती है। जिसका निर्धारण आंखों के इलाज के बाद प्रत्यारोपित लैंस की किस्म में होता है। उसमें डाक्टर की राय का कोई प्रभाव नहीं होता है। अतः प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना इस पीठ की राय में प्रथम दृष्टया सुविधा संतुलन अपीलार्थी के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है। अपीलीय अधिकारी द्वारा शास्ति की राशि से अधिक का स्थगन स्वीकार कर पर्याप्त राहत प्रदान की जा चुकी है। अतः शेष वसूली योग्य कर व ब्याज राशि पर रोक आवेदन पत्र अस्वीकार किया जाकर अपील अस्वीकार की जाती है। निर्णय सुनाया गया। 14-2-14 (अमर सिंह) सदस्य (जे.आर.लोहिया) सदस्य 14/02/14	